महिला मानवाधिकारों के सबलीकरण में संयुक्त राष्ट्र के प्रयास

प्रिया तिवारी*

सारांश

महिलाएँ विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन फिर भी वे हमेशा पुरुष प्रधान समाज में दोयम दर्जे पर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला मुक्ति एवं महिला सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयासों को अधिक मजबूती प्रदान की है। संघ ने अपनी स्थापना के साथ ही महिला मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाये। विशेष रूप से महिला मानवाधिकारों के उत्थान हेतु किए गए विभिन्न समझौतों एवं इकरारनामों में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर समझौता, विवाहित महिला की राष्ट्रीयता पर समझौता, विवाह की सहमति, विवाह की न्यूनतम आयु एवं विवाह के पंजीकरण पर समझौता तथा महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावपरक नीतियों व कार्यों को समाप्त करने संबंधी कन्वेंशन इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध के अंतर्गत इसी संदर्भ में विवरणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के पश्चात् किस प्रकार महिला मानवाधिकारों को स्थापित करने में अपना योगदान दिया है तथा वैश्विक स्तर पर महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार प्रदान करने एवं इन अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण के माध्यम से महिलाओं को पुरुषों के समस्तर लाने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य महिला मानवाधिकारों की रक्षा एवं संवर्द्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गये प्रयासों की कड़ी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समय–समय पर महिलाओं के अधिकारों से संबंधित अभिसमयों, संधि–समझौतों एवं व्यवस्थाओं को ज्ञात करना है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध हेतु द्वितीयक तथ्यों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु पुस्तकों, शोध–पत्रिकाओं, सम्पादित ग्रन्थों एवं इन्टरनेट का प्रयोग किया गया है। शोध की पद्धति मूलतः वर्णनात्मक है जिसमें सहायक पद्धतियों के रूप में ऐतिहासिक पद्धति, सामग्री विश्लेषण, पुस्तकालयी अध्ययन पद्धति इत्यादि का उपयोग किया गया है।

अपने स्थापना काल से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में महिला मानवाधिकार का विचार अस्तित्ववान हो गया था। महिलाओं के लिए समानता का मुद्दा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और 1946 में महिलाओं की स्थिति के बारे में आयोग के गठन के समय से ही संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों का मुख्य विषय रहा है। चार्टर की प्रस्तावना में, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों द्वारा मौलिक मानवाधिकार, मानव की गरिमा एवं मूल्य तथा सभी छोटे–बड़े राष्ट्रों एवं महिला–पुरुषों के समान अधिकार में विश्वास व्यक्त किया गया।[1] अरूण चतुर्वेदी के अनुसार **''संयुक्त राष्ट्र आरंभ से ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। चार्टर के अनुच्छेद–1,8,13 (प) इ, ए, 55(ब), 62 (2) और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रपत्र इसी दिशा में प्रयत्नशील है।''**

1945 में जब चार्टर को व्यवहारिक रूप दिया गया एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक रूप से स्थापना की गई तब से संयुक्त राष्ट्र संघ महिलाओं के अधिकारों के लिए विश्व स्तर पर आंदोलन चलाने वाला प्रमुख केन्द्र बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला मानवाधिकारों को विकसित करने एवं स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अभिसमयों व घोषणाओं के अतिरिक्त धरातलीय स्तर पर विकसित किये गये संस्थानात्मक तन्त्रों के माध्यम से भी प्रयासरत् है :

1. अभिसमय तथा घोषणाएँ :

महिलाओं के अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं संधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने समाज में पुरुष व महिलाओं के बीच में समानता के विकास में सहायता की है समझौते या अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ या अभिसमय, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए हैं उन्हें उन राष्ट्रों द्वारा पालन करना अनिवार्य है। जिन्होंने इन संधियों या समझौतों को अपनी मान्यता प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समय–समय पर किए गए अभिसमय व घोषणाएँ इस प्रकार हैं–

*शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल।

महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमय (1952) :

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसम्बर, 1952 को 'महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमय' हस्ताक्षर एवं पुष्टिकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। यह अभिसमय 7 जुलाई, 1954 को क्रियान्वित हुआ भारत ने इस अभिसमय पर 29 अप्रैल, 1953 को हस्ताक्षर किए तथा 1 नवम्बर, 1961 को इसकी पुष्टि की गई।[3]

इस अभिसमय के माध्यम से सदस्य राष्ट्रों द्वारा महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के पुरुषों के समान चुनाव में वोट देने, राष्ट्रीय कानून द्वारा स्थापित सरकारी संरचनाओं का चुनाव लड़ने तथा राष्ट्रीय कानून द्वारा स्थापित सरकारी दफ्तरों एवं सरकारी कार्यों में भागीदारी का अधिकार दिया गया।[4,]

विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता से संबंधित अभिसमय(1957) :

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा न्यूयार्क में 26 जनवरी, 1957 में विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता से संबंधित अभिसमय हस्ताक्षर एवं पुष्टिकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। यह अभिसमय 11 अगस्त, 1958 से क्रियान्वित हुआ तथा भारत ने 15 मई, 1957 को इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए।[5]

इसके अंतर्गत विवाह के पश्चात् भी पत्नी को अपनी नागरिकता बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि किसी विदेशी से विवाह करने पर पत्नी की नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न तो वह राज्यविहीन होगी और न ही उस पर अपने पति की राष्ट्रीयता आरोपित की जाएगी।[6]

विवाह की सहमति, विवाह की न्यूनतम आयु एवं विवाह के पंजीकरण पर अभिसमय (1962) :

महिलाओं के प्रति बाल विवाह जैसी कुरीतियों का निराकरण करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 नवम्बर, 1962 को विवाह की सहमति, विवाह की न्यूनतम आयु एवं विवाह के पंजीकरण से संबंधित अभिसमय हस्ताक्षर एवं पुष्टिकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। इस अभिसमय का क्रियान्वयन 9 दिसम्बर, 1964 को हुआ।[7]

यह समझौता राज्य पक्षकारों को विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने का आह्वान करता है। यह बाध्य करता है कि सक्षम सत्ता द्वारा प्रदान किए गए गंभीर कारणों, जो कि पति या पत्नी के हित में हो, को छोड़कर न्यूनतम आयु से नीचे किए गए विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं होंगे। साथ ही यह समझौता राज्य पक्षकारों को सभी विवाहों को एक उचित कार्यालयी रजिस्टर में पंजीकरण करने हेतु बाध्य करता है।[8]

महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति की घोषणा (1967) :

मूलभूत मानव अधिकारों, मानवीय गरिमा, मनुष्य के गुणों एवं स्त्री पुरुष के समान अधिकारों में विश्वास अभिव्यक्त करते हुए 7 दिसम्बर, 1967 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति की घोषणा की गई।[9] इस घोषणा–पत्र के द्वारा महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव को अन्याय एवं मानवीय गरिमा के प्रति अपराध घोषित करते हुए उन सभी परम्पराओं, कानूनों, नियमों एवं व्यवहारों को समाप्त करने की घोषणा की गई जो महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के अधिकारों को समान कानूनी संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से समानता के सिद्धान्तों को सदस्य देशों के संविधान में सम्मिलित करने की अपेक्षा की गई।[10]

युद्ध एवं सैन्य आपदा के समय महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित उद्घोषणा, 1974

संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 14 दिसम्बर, 1974 को युद्ध एवं सैन्य आपदा के समय महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित उद्घोषणा की गई। जिसमें कहा गया कि आपातकाल एवं सशक्त संघर्ष के दौरान महिलाओं व बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। युद्धरत् राष्ट्रों के द्वारा सैन्य कार्यवाहियों के दौरान अथवा अधिकृत प्रदेश की महिलाओं व बच्चों के साथ कुछ व्यवहारों जैसे– कैद करना, यातना देना, गोली मारना, सामूहिक गिरफ्तारी, सामूहिक दण्ड, प्रबल बहिष्कार एवं उनके निवास स्थलों के ध्वंस सहित सभी प्रकार के निरोध तथा क्रूर व अमानवीय व्यवहार अपराध माने जाएंगे तथा युद्धरत् क्षेत्रों की महिलाओं व बच्चों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा सुविधाओं एवं अन्य आवश्यक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा।[11]

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसम्बर, 1948 को एक प्रस्ताव पारित कर मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा–पत्र स्वीकार किया है। इस सार्वभौमिक घोषणा के कुल 30 अनुच्छेदों में सम्पूर्ण मानवाधिकारों को समाहित किया गया है।[12] जिसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ ही आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को भी शामिल किया गया है। इसके पहले व दूसरे अनुच्छेद में समानता के अधिकार को समाहित किया गया है।

अनुच्छेद 3 से 21 तक में विभिन्न नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 22 से 27 में विभिन्न आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को शामिल किया गया है तथा 28 से 30 तक की धाराओं में सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों को सम्मिलित किया गया है।[13] मानवाधिकारों की इस सार्वभौम घोषणा के द्वारा मनुष्यों के अहरणीय अधिकारों को जारी किया गया और पुरुषों के साथ महिलाओं को भी ये सभी अधिकार प्रदान किए गए।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा(1966) :

16 दिसम्बर, 1966 की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा द्वारा महिलाओं के पक्ष में रोजगार, समान कार्य के लिए समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।[14]

नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों की घोषणा (1966)

16 दिसम्बर, 1966 की नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों की घोषणा के अंतर्गत भी महिलाओं के लिए जीवन का प्राकृतिक अधिकार, यातना के अमानवीय व्यवहार से संरक्षण व निजत्व के संरक्षण अधिकार को प्रदत्त किया जाना विधिक व्यवस्था का एक अंग घोषित किया गया।[15]

महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने संबंधी अभिसमय (1979) (CEDAW)

महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने के उद्देश्य से 18 दिसम्बर, 1979 को इस आशय का अभिसमय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह 03 सितम्बर, 1981 से क्रियान्वित हुआ।[16]

समझौते को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव रोकने के लिए निम्नलिखित प्रतिबद्धता ज़ाहिर की गई है।[17]–

1 अपनी वैधानिक व्यवस्था में पुरुष एवं महिलाओं के बीच समानता के सिद्धान्त का समावेश करना तथा उन सभी कानूनों को समाप्त करना जो महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव का समर्थन करते हैं।
2 महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव की समाप्ति के लिए न्यायाधिकरण तथा अन्य लोक संस्थाओं की स्थापना।
3 व्यक्ति, संगठन तथा उद्यमों द्वारा महिलाओं के विरूद्ध किए जाने वाले भेदभाव की समाप्ति।

इस अभिसमय में उन सभी उपायों का समावेश किया गया जिनके द्वारा महिलाओं के विरूद्ध राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, विवाह एवं परिवार में भेदभाव को मिटाया जाएगा।

2. महिला मानवाधिकारों के संदर्भ में किए गए विश्व सम्मेलन :

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया तथा इसके उपलक्ष्य में महिलाओं पर प्रथम विश्व सम्मेलन मैक्सिको में आयोजित किया गया। इसके पश्चात् तीन और विश्व सम्मेलन कोपनहेगन(1980), नैरोबी(1985) तथा बीजिंग(1995) में किए गए। इन्हें इस प्रकार देखा जा सकता है।

प्रथम विश्व महिला सम्मेलन, 1975 (मैक्सिको सम्मेलन) :

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का महिला कल्याण के लिए प्रथम प्रयास था। मैक्सिको सिटी में वर्ष 1975 में 19 जून से 2 जुलाई के बीच हुई।[18]

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में अनेक देशों के सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा वर्ष 1976 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और 1975–85 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया गया एवं महिलाओं के कल्याण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई। इस सम्मेलन में स्त्री शिक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, लिंग आधारित भेदभाव मिटाने, नीति निर्धारण में महिलाओं को शामिल करने, समान राजनीतिक, सामाजिक एवं नागरिक अधिकार देने आदि के लिए घोषणाएँ की गई साथ ही संचार व सूचना के प्रचार माध्यमों द्वारा स्त्री की बदलती और विस्तृत होती भूमिका को सकारात्मक रूप से प्रयुक्त किए जाने पर बल दिया गया।[19]

द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन, 1980 (कोपेनहेगन सम्मेलन)

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में बनाई गई प्रथम पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन के लिए तथा अगली पाँच वर्षों की योजना बनाने के लिए कोपेनहेगन में वर्ष 1980 में 14 जुलाई से 31 जुलाई तक द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में महिलाओं के लिए तीन उप–विषय 'शिक्षा', 'नियोजन' एवं 'स्वास्थ्य' जोड़े गए। मैक्सिको में घोषित उद्देश्य कोपेनहेगन के लिए सार्थक माने गए और शेष दशक के कार्यान्वयन कार्यक्रम का आधार भी बने। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए पारिवारिक, स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, सभी स्तरों पर महिलाओं व पुरुषों दोनों में महिलाओं की भूमिकाओं से संबंधित दृष्टिकोण में परिवर्तन की बात कही गई।[20]

तृतीय विश्व सम्मेलन, 1985 (नैरोबी सम्मेलन) :

नैरोबी में वर्ष 1985 में 15 जुलाई से 26 जुलाई के बीच हुए तृतीय विश्व महिला सम्मेलन में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनिधि मण्डलों ने ''नैरोबी, प्रगतिशील रणनीतियाँ'' नामक दस्तावेज का प्रतिपादन किया। इस दस्तावेज में वर्ष 2000 तक महिलाओं की प्रगति के क्षेत्र में काम किए जाने की गतिविधियों व रणनीतियों का ढाँचा तैयार किया गया।

नैरोबी तृतीय विश्व सम्मेलन में महिलाओं के विकास एवं कल्याण हेतु निर्धारित उद्देश्य निम्न थे[21]–

1 महिलाओं की सामाजिक एवं राजनैतिक स्तर पर पुरुषों के समकक्ष समान स्तर पर सहभागिता के लिए सभी सदस्य राष्ट्रों की सरकारो को अपने–अपने देशों में संवैधानिक व कानूनी आधारों पर समानता के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश दिए गए।
2 कानूनी सुधारों के अंतर्गत महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा, अपनी पसंद का विवाह एवं तलाक देने के अधिकारों को देने की बात की गई।
3 महिलाओं में अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की जाए तथा विकासशील देशों की महिलाओं को भी विकसित देशों की महिलाओं के उन्नत जीवन स्तर तक लाने के प्रयास किए जाए।
4 लड़कियों को लड़कों के समान शैक्षणिकता के स्तर पर लाने हेतु सुविधाएँ दी जाएं तथा रूढ़िबद्ध लिंग आधारित पाठ्यचर्या का उन्मूलन किया जाए।
5 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित व सुदृढ़ करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित व प्रोत्साहित किया जाना चाहिए एवं महिलाओं द्वारा कृषि कार्य एवं अर्थ व्यवस्था में दिए गए योगदान को मान्यता दी जानी चाहिए।
6 विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान के लिए व बाह्य अंतरिक्ष के सभी शांतिपूर्ण कार्यों में सरकार द्वारा महिलाओं को सम्मानित किया जाना चाहिए।

चतुर्थ महिला सम्मेलन, 1995 (बीजिंग सम्मेलन) :

बीजिंग में 4 से 15 सितम्बर तक चलने वाले चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य थे।[22]–

1 प्रतिनिधि मण्डलों की प्रगतिशील रणनीतियों की उपलब्धियों का पुनरावलोकन करना।
2 समाज में ऐसी स्थिति पैदा करना जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले।
3 21वीं सदी की वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास संबंधी चुनौतियों और जरूरतों का सामना करने के लिए साधन उपलब्ध कराना।
4 महिलाओं को समर्थ बनाने के लए योजनाएँ बनाना।

5 ऐसी कार्य योजना की रूपरेखा बनाना जिससे **"नैरोबी की प्रगतिशील रणनीतियों"** को लागू किया जा सके।

इस चतुर्थ विश्व सम्मेलन में 189 सरकारों के प्रतिनिधियों ने बीजिंग घोषणा और कार्यमंच का अनुमोदन किया। जिसका उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान में आने वाली बाधाएँ समाप्त करना है।

3. संस्थानात्मक तंत्र :

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विभिन्न संस्थानात्मक तंत्र विकसित किए गए जिसके परिणामस्वरूप महिला अधिकारिता एवं महिला विकास के लिए विभिन्न अभिकरणों की स्थापना की गई। जो अपने क्षेत्र में इस आशय के कार्य कर रहे हैं–

यूनिसेफ :

1946 में युद्धोपरांत बच्चों को राहत देने के लिए स्थापित की गई संस्था यूनिसेफ विकासशील देशों में बच्चों एवं माताओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सहायता पहुँचाती है। यह संस्था युद्ध, हिंसा और शोषण की शिकार स्त्रियों एवं बच्चों की पीड़ा घटाने के लिए शिक्षा, सलाह–मशविरा और देखभाल उपलब्ध कराने वाली विशेष परियोजनाओं को समर्थन देती है।

कई देशों में लड़कियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जिससे उनका जीवन और क्षेम खतरे में पड़ जाते हैं। यूनिसेफ इन लड़कियों के जीवन और क्षेम के अधिकार की प्राप्ति के लिए तथा उनकी क्षमताओं को गौण बनाने वाले विश्वासों और व्यवहारों में परिवर्तन के लिए कार्य करता है। यूनिसेफ लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित रखने वाले भेदभाव और रीति–रिवाजों की समाप्ति में सहायता देने के लिए वचनबद्ध है।[23]

यूनाइटेड नेशंस एजेंसी ऑफ पॉपुलेशन फण्ड[24]:

यह संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो जनसंख्या संबंधी ऑपरेशनल गतिविधियों का नेतृत्व करता है। यह अपने बुनियादी कार्यक्रम में स्त्रियों के प्रजनन स्वास्थ्य जिसमें परिवार नियोजन, यौन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व शामिल है, को प्राप्त करने में मदद करता है। यून.एन.ए.पी.एफ. जनसंख्या एवं विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (काहिरा 1994) में पुष्ट एवं 1999 में वृहत्सभा के विशेष सत्र द्वारा समीक्षित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाला संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख संगठन है। यह कार्यक्रम जनांकिकी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्त्रियों एवं पुरुषों की जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित करता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य स्त्रियों का सबलीकरण तथा उन्हें उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवाओं और रोजगार अवसरों में पहुँच बढ़ाकर चयन के अधिक अवसर प्रदान करना है।

महिलाओं की प्रस्थिति संबंधी आयोग[25] :

1946 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् द्वारा ''महिलाओं की प्रस्थिति पर एक आयोग'' की स्थापना की गई। यह आयोग विश्व में पुरुष एवं महिलाओं के बीच समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। पुरुष एवं महिलाओं के बीच समानता की माप का विश्व स्तर पर क्या पैमाना होना चाहिए इसकी स्थापना इस महिला प्रस्थिति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। यह आयोग महिलाओं की समस्याओं को संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों के सामने लाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

इस आयोग की गतिविधियों में महिलाओं के अधिकारों की परिभाषा से लेकर महिलाओं को इन अधिकारों से वंचित रखने वाले पहलुओं का पता लगाना शामिल है। इस आयोग ने महिलाओं की उन्नति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा–निर्देश और कानून सुसाध्य बनाए हैं।

महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव उन्मूलन समिति[26]

महिलाओं के विरूद्ध होने वाले भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से 1982 में एक समिति की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य 1979 में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करने के लिए किए गए समझौते की शर्तों को लागू करवाना है। समिति की बैठक में समिति द्वारा 1979 के समझौतों की शर्तों के क्रियान्वयन के बारे में

रिपोर्ट की जाँच की जाती है तथा इस संबंध में हुई प्रगति का मूल्यांकन भी किया जाता है। यह समिति सदस्य राष्ट्रों को महिलाओं के विरूद्ध हो रहे भेदभाव को समाप्त करने की सिफारिश भी करती है तथा उपाय भी सुझा सकती है। यह महासभा को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देती है तथा इन रिपोर्टों को महिला समिति आयोग को सूचना के लिए भेजती है।

महिलाओं के निमित्त संयुक्त राष्ट्र विकास निधि (UNIFEM)[27] :

यह एक स्वैच्छिक निधि है जो महिलाओं के मानवाधिकारों उनके आर्थिक तथा राजनैतिक सबलीकरण और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाले नये ढंग के कार्यक्रमों को समर्थन एवं तकनीकी सहायता देती है। यूनीफेम तीन मुख्य क्षेत्रों में कार्य करता है–

1 उद्यमियों तथा उत्पादकों के रूप में महिलाओं की आर्थिक क्षमता को मजबूत करना।
2 शासन, नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।
3 विकास को अधिक समानतापूर्ण बनाने के लिए महिला मानवाधिकारों को बढ़ावा देना।

यूनीफेम 100 से अधिक देशों में महिलाओं को अपने और अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए सहायता दे रहा है। यह महिलाओं को लाभ पहुँचाने वाले नवाचारित कार्यक्रमों को सहायता व समर्थन देता है तथा महिलाओं की पहलों को प्रत्यक्ष तकनीकी व आर्थिक सहायता देता है।[28]

1976 में यूनिफेम की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा महिलाओं के विकास कोष के लिए की गई, ताकि महिलाओं के विकास के लिए बनी योजनाओं को सीधे तौर पर सहायता प्रदान की जा सके। विकासशील देशों की महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताते हुए इस कोष को सीधे तौर पर प्राविधिक सहायता तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा विकास संबंधी मामलों से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया। 1985 में इस कोष को यू.एन.डी.पी. (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) के साथ संयुक्त कर इसका नाम यूनिफेम कर दिया गया जिसे स्वायत्तता प्रदान कर दी गई।[29]

स्त्रियों की प्रगति के निमित्त अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

इसकी स्थापना महासभा द्वारा 1976 में प्रथम महिला सम्मेलन की सिफारिश पर की गई। यह एक संयुक्त राष्ट्र के तहत स्वायत्त निकाय है, जिसका मुख्य कार्य पूरे विश्व में रिसर्च, प्रशिक्षण तथा सूचना संबंधी गतिविधियाँ करना है जिससे महिलाओं को विकास का प्रमुख अभिकर्त्ता बनाया जा सके। यह रिसर्च एवं प्रशिक्षण संस्था इस बात का रिसर्च द्वारा पता लगाती है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की समानता में कौन सी चीज बाधक बन रही है।

इसका उद्देश्य महिलाओं की प्रगति में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति शोध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना और चलाना विकास प्रक्रिया में उनकी सक्रिय तथा समान भागीदारी को बढ़ावा, लैंगिक विषयों पर जागृति पैदा करना तथा लैंगिक समानता की उपलब्धि के लिए समूचे विश्व में जाल बिछाना है।[30]

महासभा ने इसकी नयी कार्य पद्धति के रूप में लैंगिक जागरूकता सूचना तथा नेटवर्किंग प्रणाली (Gender Awareness Information and Networking System-GAINS) की स्थापना की। गेंस के माध्यम से यह नयी सूचना प्रौद्योगिकियों का अग्रलिखित कार्यों के लिए उपयोग करता है[31] –

1 लैंगिक समानता को प्राप्त करने के सरोकार के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए इलेक्ट्रोनिक पद्धति से सहयोगात्मक शोध का संचालन।
2 सभी स्तरों पर महिलाओं के जीवन को समुन्नत बनाने के लिए नीति निर्माण के निमित्त लैंगिकता संबंधी ज्ञान एवं सूचना की प्रस्तुति, प्रबंधन एवं वितरण।
3 दूरस्थ शिक्षा और 'ऑन–लाइन' प्रशिक्षण का इस्तेमाल करते हुए ई–ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण उपायों के जरिये महिलाओं के सबलीकरण के एक व्यावहारिक तंत्र की प्रस्तुति।

महिलाओं का विकास विभाग (Divison for Development of Women)[32] :

महिलाओं का विकास विभाग महिलाओं के ऊपर हो रहे सम्मेलनों के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह विभाग नीतियों पर शोध करता है। यह देखता है कि सम्मेलन में महिलाओं के ऊपर लिए गए निर्णय ठीक तरह से कार्यान्वित हो रहे हैं अथवा नहीं।

यह आयोग उन गैर–सरकारी संगठन, राष्ट्रीय संस्थाएँ तथा अकादमियों से सदैव सम्पर्क बनाए रखता है जो महिलाओं के उद्धार तथा विकास के लिए प्रयासरत् हैं।[33]

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अंतर्गत महिला मानवाधिकार तथा उनके संरक्षण के संबंध में उठाये गए कदमों पर सिलसिलेवार दृष्टि डालने पर ज्ञात होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व में आने के पश्चात् से इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं। इसके द्वारा महिलाओं के अधिकारों के तथा समाज में पुरुष एवं महिलाओं के बीच समानता के विकास को मापने का एक पैमाना स्थापित करने में मदद की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न योजनाओं, सम्मेलनों एवं एजेन्सियों के माध्यम से महिला मानवाधिकारों के संवर्द्धन के प्रयास में लगा हुआ है। महिला मानवाधिकार व लैंगिक समानता के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयास मील का पत्थर साबित हुए हैं। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप विभिन्न राष्ट्रों की संविधियों में महिला मानवाधिकारों को स्थान देते हुए महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएँ भी की गई है।

सन्दर्भ सूची :

1 सिंह एम.के एवं कुमार आशुतोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, नई दिल्ली कल्पना पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्युटर्स, 2003, पृ. 140

2 चतुर्वेदी अरूण एवं लोढ़ा संजय, भारत में मानवाधिकार, जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 2005, पृ. 57

3 पलई अरुण कुमार, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग : गठन, कार्य और भावी परिदृश्य, नई दिल्ली, राधा पब्लिकेशन, 1999, पृ. 182

4 श्रीवास्तव वी. पी, ह्यूमन राइट्स इश्यूसेज एण्ड इम्प्लीमेंटेशन, भाग–1, दिल्ली, इण्डियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूर्टस, 2004, पृ. 431

5 पुर्वोक्त, नोट–3, पृ. 182

6 पुर्वोक्त, नोट–4, पृ. 425

7 महावर सुनील, राज्य एवं महिला मानवाधिकार, जयपुर, पोइन्टर पब्लिशर्स, नोट–4, पृ. 75

8 पुर्वोक्त, नोट–7, पृ 76

9 गौतम रमेश प्रसाद, मानवाधिकार : विविध आयाम, सागर, मध्य प्रदेश, विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2003, पृ 46

10 पुर्वोक्त, नोट–9, पृ 46

11 मेजर कन्वेंशन ऑन वुमेन, http://www.ecswa.org.1b/divisions/ecw.asp

12 चतुर्वेदी सतीश, मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र संघ, जयपुर, पोईन्टर पब्लिशर्स, 2002,पृ. 90–92

13 पुर्वोक्त, नोट–12, पृ 92

14 दीक्षित सोना/दीक्षित अरुण कुमार, महिलाओं के मानवाधिकारों का संरक्षण, कुरूक्षेत्र, कुरुक्षेत्र प्रकाशन, मार्च, 2005 पृ. 11

15 पुर्वोक्त, नोट–14

16 लॉसन एडवर्ड, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स, नई दिल्ली, टायलर एण्ड फ्रान्सिस, नई दिल्ली, पृ 1600

17 सिंह, एम. के., नोट–1, पृ. 114

18 कांत मीरा, महिला दशक और हिन्दी पत्रकारिता, नई दिल्ली, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, 1994, पृ. 26

19 पुर्वोक्त, नोट–18, पृ 26

20 पुर्वोक्त, नोट–18, पृ 26
21 पुर्वोक्त, नोट–7, पृ. 80
22 कौशिक, आशा, मानवाधिकार और राज्य : बदलते संदर्भ उभरते आयाम, जयपुर, पोईन्टर पब्लिशर्स, 2004, पृ. 23
23 संयुक्त राष्ट्र के सम्बन्ध में बुनियादी तथ्य, संयुक्त राष्ट्र संघ सूचना केन्द्र द्वारा अनुदित एवं प्रकाशित, 2001, पृ. 206
24 पुर्वोक्त, नोट–23, पृ. 200
25 पुर्वोक्त, नोट–1, पृ. 142–143
26 पुर्वोक्त, नोट–23, पृ. 202
27 पुर्वोक्त, नोट–1, पृ. 142
28 पुर्वोक्त, नोट–1, पृ 142
29 पुर्वोक्त, नोट–1, पृ 144
30 पुर्वोक्त, नोट–1
31 पुर्वोक्त, नोट–7 पृ. 84
32 पुर्वोक्त, नोट–1 पृ. 143
33 पुर्वोक्त, नोट–1, पृ. 144